

डिकी एंव मुकदमे ईबतदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 383/2024

लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख सा.बोलावाली तह. संगरिया  
जिला हनुमानगढ

- वादी

बनाम

- 1 प्रकाश कौर पुत्री गजन सिंह जाति जटसिख सा.बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 गुरलाल सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख सा.बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख सा.बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रति स. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि चक 7 एन. टी.डब्ल्यू खाता स. 23/13 खाता गुरलाल सिंह वगैरा ज.स. 2070-73 व चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 29/24 खाता गुरलाल सिंह वगैरा ज.स. 2072-75 में प्रति स. 1 प्रकाश कौर पुत्री गजन सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है। तथा उक्त खाता से प्रति स. 1 प्रकाश कौर पुत्री गजन सिंह का नाम कलमजन किया जाता है।।

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल..........मुब्लिक.......... निल..........बाबत.  
..........निल..........खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी  
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें।  
बसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....30.6.2024.....को  
जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

